



# राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशापी संस्थान,)

नारेली तीर्थ के पास, बडलिया चौराहा, अजमेर

www.ecajmer.ac.in

email : principal@ecajmer.ac.in

पत्रांक: अमअ / 2018 / 792


Phone : 9214210952

दिनांक 3/12/18

## आवश्यक सूचना


वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय का अनुमानित आय गणना प्रपत्र आयकर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. अतः सभी संकाय सदस्यों/स्टॉफ को अनुमानित आय गणना प्रपत्र मय धारा 80सी में छूट हेतु दस्तावेजों की प्रति/आदि निवेश किया जा चुका हो,को पूर्णकर दिनांक 15.12.2018 तक आवश्यक रूप से लेखा-शाखा में उचित माध्यम से जमा करवा दें। आय विवरण पत्र समय पर प्राप्त नहीं होन पर लेखाशाखा द्वारा सीधे वेतन से आय कर कटौती कर दी जायेगी,जिसका उत्तरदायित्व संबंधित कार्मिक का होगा।
2. आयकर की धारा 80 जी व 89(i) के अन्तर्गत छूट का लाभ विवरण के साथ संबंधित आधारभूत दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर ही देय होगा।
3. मकान किराया भत्ता में आयकर छूट के लिए किरायानमा/रसीद मय मकानमालिक का PAN कार्ड प्रस्तुत करें।
4. अनुमानित आय में आयकर विभाग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार आय शामिल की जावें। अन्य आय सम्बन्धी सूचना आयकर विभाग के निर्देशानुसार देय होगी।
5. कार्मिक द्वारा आय सम्बन्धी किसी भी प्रकार के तथ्य छुपाने पर किसी भी भावी कार्यवाही के लिए वे स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।

  
उप कुलसचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

1. प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर।
2. वेब मास्टर।
3. रक्षक पत्रावली।
4. कार्यालय प्रति।

  
उप कुलसचिव